

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय/
मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 10 नवम्बर, 2023

विषय:- मथुरा-वृन्दावन शहर की मल्टीलेवल कार पार्किंग परियोजना की आगामी किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासनादेश संख्या-08/2022/2587/नौ-9-2021-146ज/21, दिनांक 06.01.2022 द्वारा मथुरा-वृन्दावन शहर हेतु मल्टीलेवल कार पार्किंग परियोजना लागत रू0 4095.73 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-89/2022/539/नौ-9-2022-146ज/21, दिनांक 31.03.2022 द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 823.93 लाख (रू0 आठ करोड़ तेइस लाख तिरानबे हजार मात्र) निर्गत की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-147/2022/4142/001-ई-1582565-146ज/21, दिनांक 02.12.2022 द्वारा तृतीय किश्त की धनराशि रू0 1023.93 लाख (रू0 दस करोड़ तेइस लाख तिरानबे हजार मात्र) निर्गत की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-38/2023/522/नौ-9-2023-01-ई-1582565-146ज/21, दिनांक 27.03.2023 द्वारा चतुर्थ किश्त की धनराशि रू0 1023.93 लाख (रू0 दस करोड़ तेइस लाख तिरानबे हजार मात्र) निर्गत की गयी है।


2. उक्त धनराशि के सापेक्ष मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-1542/106/SSCM/2021-22, दिनांक 25.09.2023 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर आगामी किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मथुरा-वृन्दावन शहर हेतु मल्टीलेवल कार पार्किंग परियोजना लागत रू0 4095.73 लाख (जी0एस0टी0 सहित) के सापेक्ष 20 प्रतिशत के रूप में आगामी किश्त की धनराशि रू0 819.146 लाख (रूपये आठ करोड़ उन्नीस लाख चौदह हजार छः सौ मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाइन्स, 2019 के दिशा निर्देशों/शासनादेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्मार्ट सिटी, मथुरा-वृन्दावन को अंतरित/व्यय की जायेगी।
- (2) उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च 2024 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (3) शासनादेश संख्या-08/2022/2587/नौ-9-2021-146ज/21, दिनांक 06.01.2022 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,19,14,600 (रुपये आठ करोड़ उन्नीस लाख चौदह हजार छः सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखाशीर्षक 2217050510300 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।


4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19.09.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मो0 वासिष्ठ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 86 /2023/2403/नौ-9-2023-01-ई-1582565-146ज/21, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
- 3- मण्डलायुक्त, आगरा।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 6- निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- 7- जिलाधिकारी, मथुरा-वृन्दावन।
- 8- नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन।
- 9- निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 10- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 11- मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, मथुरा-वृन्दावन।
- 12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 13- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

मो0 वासिष्ठ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।